भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2747
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: हमीरपुर में किसानों की मुश्किलें

2747. श्री अजेन्द्र सिंह लोधीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस अत्यंत चिंताजनक तथ्य की जानकारी है कि हमीरपुर जिले में किसान बीमा योजना के अंतर्गत गलत सर्वेक्षण, झूठे दावे, भुगतान में हेराफेरी और बिचौलियों की मनमानी कार्रवाइयों से किसानों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या उर्वरक वितरण में कुप्रबंधन एवं मिलीभगत के कारण देश के अन्नदाता किसान घंटों लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने के बाद मात्र एक बोरी उर्वरक लेकर घर लौटने को बाध्य हो रहे हैं और यह स्थिति खुली एवं स्पष्ट भ्रष्टाचार का उदाहरण है; और

(ग) क्या सरकार स्वीकार करती है कि यह स्थिति एकल त्रुटि का परिणाम नहीं अपितु संगठित एवं व्यवस्थागत समस्या का संकेत है जिसमें स्थानीय प्राधिकारियों, एजेंटों और आपूर्ति श्रृंखला की भूमिका संदिग्ध है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) हमीरपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। खरीफ 2025 सीजन के दौरान, कुल 1,71,238 किसान आवेदनों में से 20,782 आवेदन गैर ऋणी थे। योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा इन किसानों का सत्यापन करने के पश्चात 391 आवेदन अपूर्ण पाए गए। राज्य सरकार द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को इन आवेदनों को रद्द करने की सलाह दी गई है।

(ख) एवं (ग): चालू रबी 2025-26 सीजन के दौरान, देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता रही है। रबी 2025-26 सीजन के दौरान देश में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और क्लोज़िंग स्टॉक से संबंधित जानकारी निम्न प्रकार है:

(आँकड़े एल.एम.टी. में)

क्रं. सं.	उत्पाद समूह	दिनांक 11.12.2025 तक आनुपातिक आवश्यकता	दिनांक 11.12.2025 तक उपलब्धता	दिनांक 11.12.2025 तक डीबीटी की बिक्री	दिनांक 11.12.2025 को क्लोज़िंग स्टॉक की स्थिति
1	यूरिया	98.76	127.85	82.46	45.39
2	डीएपी	38.89	50.38	33.92	16.46
3	एमओपी	7.69	11.71	5.42	6.29
4	एनपीकेएस	45.11	68.68	33.65	35.03

इसके अतिरिक्त, देश में उर्वरकों की समय पर तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक सीजन में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल सीजन के प्रारंभ से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य-वार और माह-वार उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलन की गई आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग, मासिक आपूर्ति योजना जारी कर राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करता है तथा उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है।

(iii) एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) नामक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा पूरे देश में सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की आवाजाही की निगरानी की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से निर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा समय पर ऑर्डर जारी कर आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है।

(v) संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का आकलन तथा वितरण किया जाता है।

*****